

फर्द अहकाम

पत्रावली के बनाम प्रशासकीय विभाग

यायालय A.C.M-11
 संख्या 11 No. 92/2014

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28/8/19	<p>पत्रावली पेश हुई। जमीन प्राचीन रूप में नहीं। मूलवाद अदम हाजरी अदम पेची में खारिज किया जा चुका है। प्राण्य अस्थायी निषेधाना मूलवाद का ही भाग है, प्राण्य को अकेले चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। मूलवाद के अनुसरण में प्राचीन का प्राण्य अस्थायी निषेधाना अदम हाजरी अदम पेची में खारिज किया जाता है। निर्णय आज्ञा दिनांक 28/8/19 को लिखा जाकर चुले न्यायालय जयपुर भेजा। पत्रावली जिला शुभारंभ के दिनेष से कम होकर दायित्व प्रसार हो।</p>	

सहायक कलक्टर
 जयपुर शहर द्वितीय

